न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण सं0–39/2024

दिनांक 01.07.2025

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 14ए हेतु पेश हुयी। उक्त प्रार्थना पत्र वादी की ओर से प्रस्तावित अभियुक्त छत्रपाल को अंतर्गत धारा 358(1) बी0एन0एस0एस0 विचारण हेतु तलब किये जाने के आशय से प्रस्तुत की गयी है। जिसके विरूद्व अभियोजन की ओर से आपत्ति 16ए प्रस्तुत की गयी है। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि पुलिस द्वारा छत्रपाल के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं पाते हुये उसका नाम विलोपित किया गया। यह भी दर्शित है कि वादी मुकदमा तेजपाल/पी0डब्लू01 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। तहरीर में साक्षी संदीप व रोहित को चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। जिसमें से साक्षी संदीप कुमार को बतौर पी0डब्लू02 अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि महादेव पुत्र ओमप्रकाश घटना का महत्वपूर्ण साक्षी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मत में उक्त प्रार्थना पत्र के न्यायसंगत निस्तारण हेतु साक्षी महादेव की साक्ष्य के उपरांत ही उक्त प्रार्थना पत्र 14ए का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा। अतः अभियोजन को आदेशित किया जाता है कि साक्षी महादेव पुत्र ओमप्रकाश को नियत तिथि को साक्ष्य हेतु पेश करें। पत्रावली दिनांक 19.07.2025 को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियुक्त अमित का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र आज के लिये स्वीकृत।

दिनांक 01.07.2025

अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा, बुलन्दशहर।

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.07.01 17:10:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court